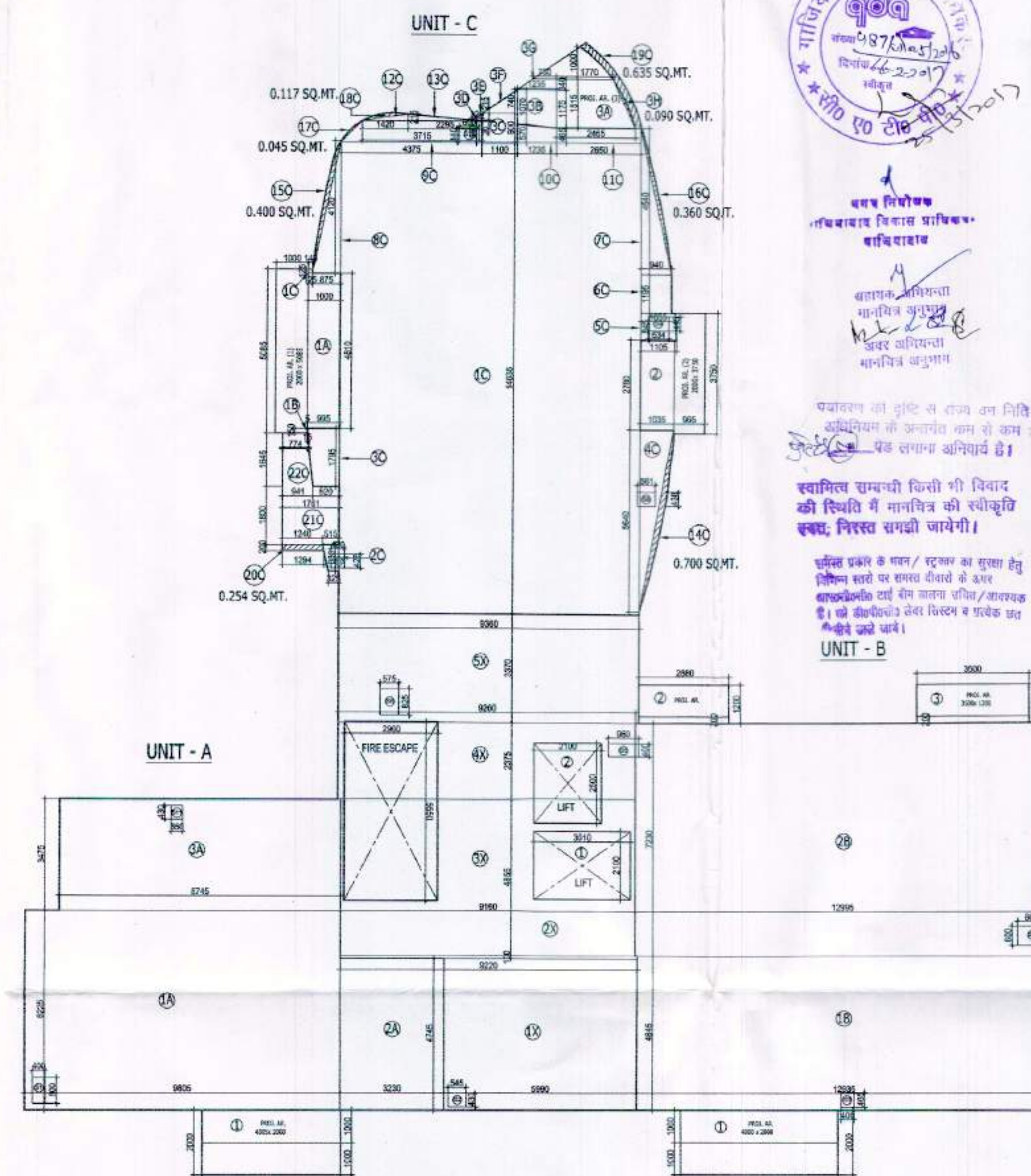
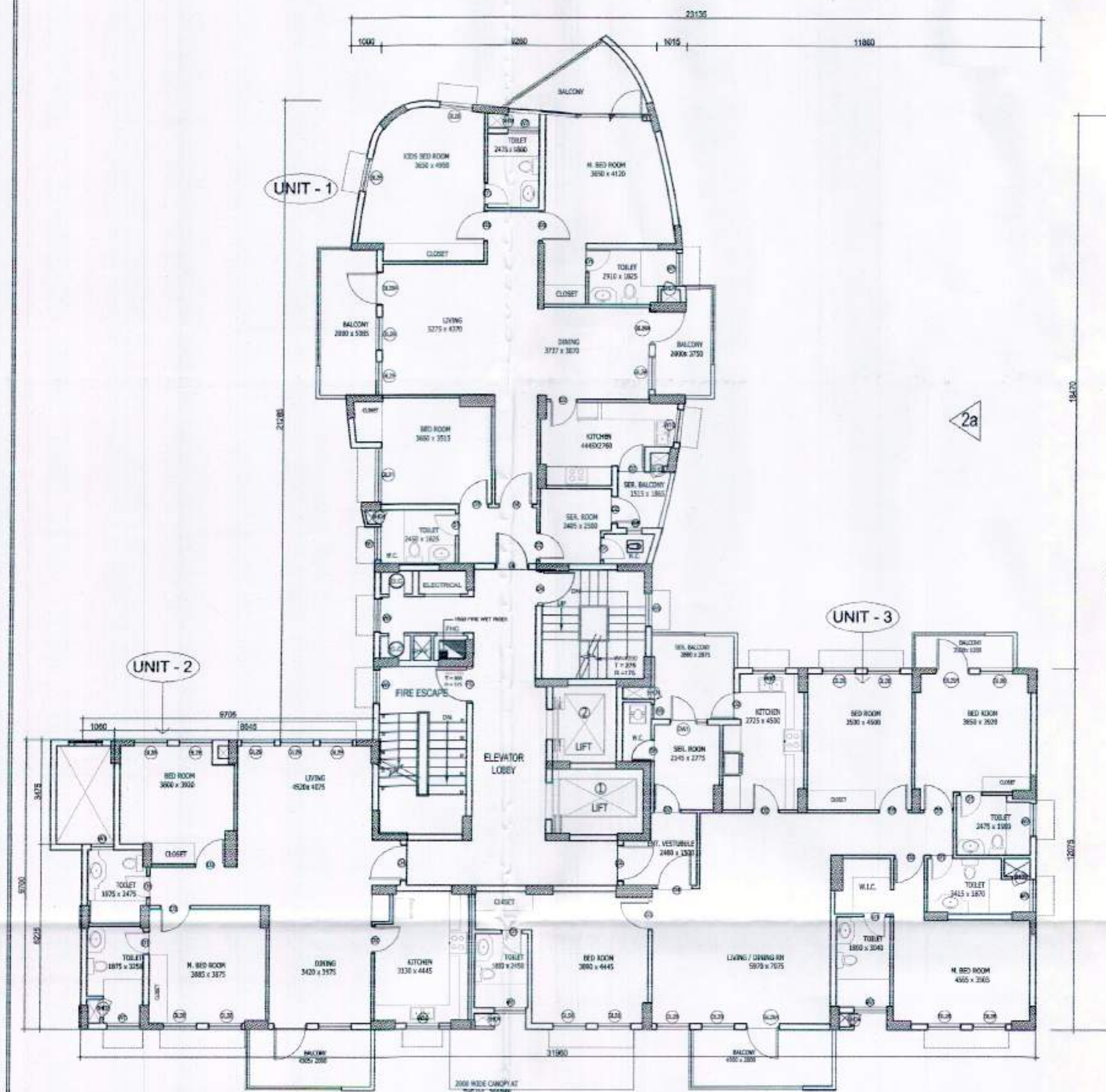




समग्र निरीक्षण
साक्ष्याभाव विकास प्राधिकरण
साक्ष्याभाव

बतायक अभियन्ता
मानचित्र अनुभाग
अवर अभियन्ता
मानचित्र अनुभाग

पञ्चावस्था का दृष्टि से राज्य उन निधि
अधिनियम से अन्तर्गत कम से कम :
पैड लगाना अनिवार्य है।

स्वामित्व सम्गन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः, निरस्त समझी जायेगी।

हमिस्त प्रकर के धवन / स्टेशन का सुरक्षा हेतु
लिफ्ट सारो पर समस्त धीवारी को ऊपर
आवासीय भाग टाई रींग जालना जमित / आवश्यक
है। को डीपीटीओ सेवर सिस्टम व प्रत्येक जग
की दे जल जाये।

UNIT - B

DOOR & WINDOW SCHEDULE

D.NO.	SILL	LINTEL	DIMENSION(WXH)	DESCRIPTION
D1	-	2100	750X200	TOILET
D2	-	2100	900X200	KITCHENS QUARTER
D3	-	2100	1000X200	BEDROOM DOOR
D4	-	2100	1200X200	BEDROOM DOOR
DW1	-	2450	1250X2450	S QUARTER
DW2	-	2450	2200X2450	BEDROOM DOOR
SHD2	-	1800	400X1800	SHAFT
SHD4	-	1800	400X1800	SHAFT
W.NO.	SILL	LINTEL	DIMENSION(WXH)	DESCRIPTION
W1	1200	2450	750X1250	TOILET
W2	1200	2450	1100X1250	TOILET
W3	1200	2450	500X1250	TOILET
W4	1000	2450	1100X1450	STARCASE/CORE
W10	1200	2450	1100X1250	KITCHEN
GL.NO.	SILL	LINTEL	DIMENSION(WXH)	DESCRIPTION
GL28	300	2450	1100X1850	BEDROOM
GL29	300	2450	1100X2150	LIVING/DINING
GL29A	-	2450	1100X2450	LIVING/DINING
GL30	300	2450	3700X2150	BUILDING ENTRANCE
GL31	300	2450	1800X1850	BEDROOM
GL32	600	2450	2200X1850	BEDROOM

SUBMISON DRAWING B2'(B2b) - BLOCK

SCALE	DATE—	DRAWING NO.—	NORTH
100		APIL/REPL/B2/02	

TOWN PLANNER/ARCHITECT

ARCHITECT



DURGA DESIGNERS
ASHOK KUMAR AGGARWAL
REG. No. CA/2016/79773
R/o G-104, SECTOR-41, NOIDA
PH-9810072146, 0120-4357100

TITLE
TYPICAL FLOOR PLAN - A
(1st,3rd)

OWNER:-
ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD(CONSORTIUM)

CONSULTANTS :
Rashi Gupta
Architect, Town Planner,
Noida.

“निर्माणवाचीन जलविधि में निर्माण हेतु एक घृत से बने दोहरे समुच्चयों को एक प्रमाणवाचक किया जाए निर्माण समुच्चय को परिचालक एवं उनको चरणोपेक्षी जलविधि में निर्माण सामग्रीको एवं धानी का छिड़काव एवं हाइड्रो सॉरीशन समुच्चय का चरणोपेक्षी जलविधि रूप से किया जाए निर्माण आधारियों को से जाने हेतु एक हुए साहचर्य का प्रदर्शन किया जाए”

“अधिकांशो पूर्व सन्ने कार्यरत श्रमिको का श्रम विधा
को नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।”

मूल पर एक सड़क या स्वच्छ मार्गों के
समूह 3 दिनांक निर्धारित अवधि में।

यह मन्त्रित्व स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक है।